रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 891] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2018/अग्रहायण 22, 1940
No. 891] NEW DELHI THURSDAY, DECEMBER 13, 2018/AGRAHAYANA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2018

सं. 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 1203(अ).—जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत देश' से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित "ज़ोलाइट 4 ए" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे 'उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम' से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 38249922, 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 और 28421000 के अन्तर्गत आती है, के आयात मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना सं. 6/14/2017-डीजीएडी, दिनाँक 29 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड I दिनाँक 29 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित किया गया है, के तहत इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि–

(क) ऐसे पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक डंपिंग मार्जिन के साथ-साथ भौतिक क्षति भी थी;

(ख) पाटन और क्षति को ऑफसेट करने के लिए इस तरह के डंपिंग की आवश्यकता होती है; और

(ग) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के आयात माल पर प्रतिपाटन शुल्क लागू करना आवश्यक है;

और उन्होंने इस पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः, अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की

उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अन्तर्गत आती है, जो कि कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है :-

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष *	माल का विवरण	मूल या निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क धनराशि	मुद्रा	माप की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	ज़ोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	इनर मंगोलिया रिशेंग रीसाइक्लिंग रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड (आईएमआरआरआरसीएल)	टियांजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं लिमिटेड (टीजीआईटीसीएल)	163.96	अमे.डॉ.	एमटी
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चाल्को शेडोंग एडवांस मटेरियल कंपनी लिमिटेड (सीएसएएमसीएल)	चाल्को ज़िबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं लिमिटेड (सीजेआईआईटीसीएल)	165.61	अमे.डॉ.	एमटी
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चाल्को शेडोंग एडवांस मटेरियल कंपनी लिमिटेड (सीएसएएमसीएल)	चाल्को क्विंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं लिमिटेड (सीक्यूआईटीसीएल)	163.90	अमे.डॉ.	एमटी
4	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 3 के अलावा कोई भी।		207.72	अमे.डॉ.	एमटी

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **5** वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है**,** इसका अधिक्रमण नहीं होता है**,** या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के उद्देश्य के लिए लागू की जाने वाली विनिमय दर वही होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ इंट्री को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/409/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2018

No. 57/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 1203(E).—Whereas, in the matter of import of 'Zeolite 4A' [Detergent grade] (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff items 38249922, 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090, and 28421000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/14/2017-DGAD, dated the 29th October 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th October 2018, has come to the conclusion that-

(a) there was a positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports;

(b) such dumping is required to offset dumping and injury; and

(c) it is necessary to impose anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries,

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (5), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency specified in the corresponding entry in column (8) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table:

S.N.	Heading/ Subheading*	Description of Goods	Country of Origin or Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Currency	Unit of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	Zeolite 4A (Detergent Grade)	China PR	Inner Mongolia Risheng Recycling Resource Co. Ltd (IMRRRCL)	Tianjin Gerkwin International Trading Co. Ltd. (TGITCL)	163.96	USD	MT
2	-do-	-do-	China PR	Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd. (CSAMCL)	Chalco Zibo International Trading Co. Ltd (CZITCL)	165.61	USD	MT

3	-do-	-do-	China PR	Chalco Shandong Advance Material Co. Ltd. (CSAMCL)	Chalco Qingdao International Trading Co. Ltd (CQITCL)	163.90	USD	MT
4	-do-	-do-	China PR	Any other than serial No. 1 to 3 above.		207.72	USD	MT

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/409/2018 -TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.13 23:00:15 +05'30'